51

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3792-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 7-9-2012 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण 805/2007-08 अपील

1- श्रीमती दशमतिया पुत्री स्व. मीरू बसोर
2- रजमंती पुत्री स्व. मीरू बसोर
3- धनमंती पुत्री स्व. मीरू बसोर
4- सोनियी पुत्री स्व. मीरू बसोर
निवासीगण ग्राम जोइगड़ी
तहसील देवसर जिला सिंगरोली ---आवेदिकायें

विरूद्ध

सुदर्शन पुत्र कुवेस्प्रसाद धारकर
ग्राम ग्राम जोड़गड़ी
तहसील देवसर जिला सिंगरोली ---अनावेदक

(आवेदिकाओं के अभिभाषक श्री रामाश्रय शुक्ल)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री लाल प्रताप सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 805/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 07-09-2012 के

विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदक ने तहसीलदार देवसर के समक्ष मीरू बसोर के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 सहपठित 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम ओड़गड़ी की भूमि सर्वे कमांक 804/2 एंव 365 के बटवारे की मांग की । तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 120 अ–6/2001–2002 पॅजीबद्ध किया तथा भूमिस्वामी मीरू बसोर के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 24–3–2003 पारित किया तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध मीरू बसोर ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 85/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी 2008 से तहसीलदार देवसर का आदेश दिनांक 24–3–2003 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक प्रकरण 805/ 2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 07–09–2012 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी का आदेश दिनांक 14 फरवरी 2008 निरस्त कर दिया एंव तहसीलदार देवसर का आदेश दिनांक 24–3–2003 स्थिर रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी प्रकरण में आवेदिकाओं एंव अनावेदक के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु आवेदकगण के अभिभाषक ने निगरानी मेमो के तथ्यों के आधार पर एंव प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर निगरानी निराकृत करने की मांग रखी। अनावेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार देवसर ने आदेश दिनांक 24–3–2003 में ही

भूमिस्वामी मीरू बसोर के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण का अंतिम निराकरण किया है , जिसके अवलोकन / अध्ययन उपरांत अनुविभागीय अधिकारी देवसर / चितरंगी ने आदेश दिनांक 14 फरवरी 2008 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है :–

" यह सही है कि वादग्रस्त भूमि का अभिलेखीय भूमिस्वामी अपीलार्थी था अतः इस हैसियत से प्रकरण में उसकी भूमिका एक आवश्यक पक्षकार की थी किन्तु उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। संहिता की धारा 178 के तहत विहित प्रकिया का भी अनुशरण नहीं किया गया है। "

अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के आदेश दिनांक 14 फरवरी 2008 का पद 5 इस प्रकार है :–

" उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि आलोच्य आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। फलतः प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एंव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये कथिन विभाजन पत्र की बैधता का परीक्षण करें तथा संहिता में वर्णित प्रकिया का अनुपालन करते हुये विधिसंगत आदेश पारित करें। "

उपरोक्त से प्रमाणित है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन आदेश (Remand order) है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील कमांक 805/2007–08 प्रस्तुत हुई है। विचार योग्य है कि क्या प्रत्यावर्तन आदेश (Remand order) के विरूद्व अपील ग्राह्य योग्य एंव सुनवाई योग्य है? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 46 में प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्व अपील बर्जित है । फलतः अपर आयुक्त अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 805/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 07–09–2012 नियम एंव प्रकिया के विरूद्व होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है इसके विपरीत तहसीलदार देवसर के आदेश दिनांक 24–3–2003 में भूमिस्वामी मीरू बसोर के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये पारित अंतिम

आदेश त्रृटिपूर्ण है , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी व्दारा आदेश दिनांक 14 फरवरी 2008 से पक्षकारों को सुनवाई/साक्ष्य का अवसर देने हेतु दिया गया प्रत्यावर्तन आदेश नियमानुकूल है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 805/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 07–09–2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी व्दारा प्रकरण क्रमांक 85/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी 2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर